

फर्द अहकाम

(नियम 13)

83

9 CMS
2020/00086
08/02/2021

राज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणघरी तहसील सिणघरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. पु.श्री.क

हलका भू.क. क.वा.सि.ए.

पुत्र श्री. कमलराज जाति हरीण

निवासी भू.क. क.वा.सि.ए.

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 83 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तानिल की
23-12-2020	पटवारी हलका <u>भू.क. क.वा.सि.ए.</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2077</u> में मौजा <u>भू.क. क.वा.सि.ए.</u> के खसरा नंबर <u>27/3</u> रकबा <u>2000 वर्ग फीट</u> किस्म मृत्ति <u>कालु</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>11-01-2021</u> को बमुकाम सिणघरी में पेश हों।	
11-01-2021	<u>तहसीलदार सिणघरी</u> <u>जिला-वाड़मेर</u> पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी वणकीण कार्य हेतु कोचपुर पंचारे हे पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।	जश/क
18/01/2021	<u>तहसीलदार सिणघरी</u> <u>जिला-वाड़मेर</u> पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय पाए जो दिनांक पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश हो।	जश/क

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से उक्त वहील के उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि. 10-2-2021 को पेश है।
तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीगलीन अधिकारी डा. अरुण अग्रवाल पर सिविल अपचार हेतु पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपालित। गैर सामल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिलाने के लिए पत्रावली 22-2-2021 को पेश है।
तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपालित। गैर सामल को जवाब हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गैर सामल को अतिक्रमण मानते हुए पत्रावली फैलल सुगट है। निर्णय अलग से लिखा जाकर पत्रावली शाहिल है। पत्रावली फैलल सुगट होकर दारिजल इफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर